निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 37/2021
दायरा दिनांकः—28.07.2021
निर्णय दिनांकः— 24.12.24

उनवान

मूर्ति बाई आयु 48 वर्ष पुत्री लक्ष्मण पत्नि रमेश जाति मीणा निवासी ग्राम कमालपुरा हाल कादरपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सोनाथ आयु 55 वर्ष पुत्र लक्ष्मण जाति मीणा निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 24.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नारायणलाल चौरसिया — प्रार्थी
2. श्री भँवर सिंह जादौन— अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 83/75 की खसरा नंबर 45 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 103 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 184 रकबा 14 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके माल कमालपुरा तहसील छबड़ा एवं खाता संख्या 82/76 की खसरा नंबर 68 की 14 बीघा ग्राम कमालपुरा तहसील छबड़ा में एवं खाता संख्या 170 की खसरा नंबर 42 रकबा 04 बीघा 09 बिरवा, खाता संख्या 171/164 की खसरा नंबर 34 रकबा 05 विस्वा, खसरा नंबर 35 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 36 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 38 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा कुल किता चार रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा भूमि ग्राम भूलोन तहसील छबड़ा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि का प्रार्थीया का हिस्सा 1/6 का हकत्याग अप्रार्थी कम 1 ने इस शर्त पर दिनांक 09.10.2020 को लिख कर दिया था कि अप्रार्थी कम 1 श्योनाथ प्रार्थीया को शादी ब्याह में पहरावनी कारण के लिए एक लाख रुपए 01 मई 2021 को अदा कर देगा। यदि अप्रार्थी 01 मई 2021 तक एक लाख रुपए अदा नहीं करता है तो प्रार्थीया को अधिकार होगा कि वह हकत्याग निरस्त करवाकर अपने पिता की भूमि खातेदारी में नाम दर्ज करवाने का अधिकार होगा। अप्रार्थी ने हकत्याग के बदले एक लाख रुपए का प्रलोभन देकर प्रार्थीया से हकत्याग दिनांक 09.11.2020 को अपने पक्ष में करवा लिया और इंतकाल चुपचाप अपने नाम खुलवा लिया। जब दिनांक 01.05.2021 को प्रार्थीया ने अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

से एक लाख रुपए देने के लिए संपर्क किया तो अप्रार्थी ने रूपया देने से मना कर दिया और जब जर्ये वकील रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 15.06.2021 को किया तो अप्रार्थी श्योनाथ ने नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया। उक्त विवादग्रस्त भूमि में इंतकाल अप्रार्थी ने अपने नाम करवा लिया। उक्त भूमि अपने नाम होने से उक्त भूमि को अप्रार्थी दान, रहन, बेचान कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया का अपने हिस्से पर अपने पिता के समय से आज भी कब्जा काश्त होने उक्त भूमियात में अपना हिस्सा खातेदारी में दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी ने उक्त विवादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्ति को दान, रहन बेचान कर खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थीया अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जाएगा।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कमालपुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 83 नकल जमाबन्दी ग्राम कमालपुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 82 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 171 फोटो प्रति शपथ पत्र श्योनाथ नकल हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) दिनांक 09.11.2020 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्राथीर्या द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कमालपुरा व भूलोन तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा निहित है प्रार्थीया द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में इस शर्त पर किया कि अप्रार्थी श्योनाथ प्रार्थीया की शादी ब्याह में पहरावनी के लिए 1 लाख रूपये 1 मई 2021 को देगा। अगर एक लाख रूपये नही देता है तो प्रार्थीया हह त्याग निरस्त करवा कर अपने पिता की भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है अप्रार्थी क्रम 1 ने एक लाख रूपये का प्रलोभन देकर प्रार्थीया से हक त्याग करवा लिया परन्तु अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा एक लाख रूपये नही दियें। एल लाख रूपयें मांगे तो देने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी क्रम 1 भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है यदि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा भूमि खुर्द बुर्द कर दी तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 का पिता के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है वर्तमान में भी अप्रार्थी क्रम 1 का कबजा काश्त है प्रार्थीया का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा है अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थीया की लडकी की शादी में पहरावनी ले जाने का वादा किया था प्रार्थीया की बच्ची की शादी के समय कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण सगा काका तुलसीराम, मनोज, रामभरोस, बुआ, छोटीबाई, की मृत्यु हो जाने के कारण अप्रार्थी क्रम 1 पहरावनी लेकर नही जा सका। प्रार्थीया की एक लडका व एक लडकी कुवांरे है उनकी शादी में अप्रार्थी क्रम 1 पहरावनी कर देगा। प्रार्थीया की लडकी की शादी के समय लॉक डाउन होने के कारण तथा सीमित महमानों की संख्या होने के कारण पहरावनी लेकर नही जा सका। प्रार्थीया अनुसूचित जन जाति की सदस्य है अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होकर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पर्सनल ला लागू होता है जिसके तहत प्रार्थीया को अपने पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नही होतें है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कमालपुरा सम्वत् 2075–2078 खाता संख्या 83 में लक्ष्मण पुत्र गनेश जाति मीना का नाम दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में नामान्तरण संख्या 362 दिनांक 4.09.2020 विरासत से जर्ये फोती मृतक लक्ष्मण के स्थान पर वारिसान सोनाथ पुत्र सुमद्रा बाई, मूर्तिबाई मालती बाई लीलाबाई पुत्रिया एवं काली बाई पत्नि लक्ष्मण का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्राम कमालपुरा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 82 में लक्ष्मण पुत्र गनेश हिस्सा 1/2 एवं ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 171 में लक्ष्मण पुत्र गनेश कोम मीना का नाम दर्ज है खातेदार लक्ष्मण के फोत होने के बाद फोती नामान्तरण से प्रार्थीया व उसके भाई बहिनों का नाम दर्ज हुआ। प्रस्तुत हक त्याग दिनांक 9.11.2020 से मूर्ति का हक त्याग अपने सगे भाई सोनाथ पुत्र लक्ष्मण के पक्ष में कराया गया। जिसका नामान्तरण संख्या 364 व 875 दिनांक 05.01.2021 दर्ज किया गया। विवादित आराजी में से अपने हिस्से का हक त्याग अपने भाई के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र से कर दिया। हक त्याग करने के बाद प्रार्थीया अपना हिस्सा खातेदारी में दर्ज करने का दावा पेश किया है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला स्थगन हेतु साबित नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा